

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1343] No. 1343] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2018/चैत्र 14, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY APRIL 4, 2018/CHAITRA 14, 1940

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2018

विषय : उप—खंडों, फार्म/प्रोफॉर्मा के सरलीकरण और बॉण्ड (बॉण्डों)/शपथपत्र (शपथपत्रों) को प्रस्तुत करने से छूट देने के लिए का.आ. 1053(अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2017 द्वारा अधिसूचित एकीकृत भवन निर्माण उपविधि (यू.बी.बी.एल.) 2016 संबंधी संग्रोधन।

का.आ. 1487(अ).—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण एतद्द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से दिल्ली एकीकृत भवन निर्माण उपविधि (यू.बी.बी.एल.)—2016 में निम्नलिखित संशोधन करता है:—

क्र.सं.	का.आ. 1053 (अ) दिनांक 5 अप्रैल, 2017 द्वारा अधिसूचित यू.बी.बी.एल.— 2016 का अध्याय/पैरा/खंड/उप—खंड	प्रस्तावित संशोधन
i	ii	iii
1.	2.1.3 सी.ए.एफ. पर हस्ताक्षर करना एवं घोषणाः	2.1.3 सी.ए.एफ. पर हस्ताक्षर करना एवं घोषणाः
	जैसा लागू है, स्वामी, वास्तुकार एवं अन्य पेशेवरों द्वारा सी.ए.एफ. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे । निम्नलिखित घोषणा / प्रमाण—पत्र सी.ए.एफ. का भाग होंगे :	जैसा लागू है, स्वामी, वास्तुकार एवं अन्य पेशेवरों द्वारा सी.ए.एफ. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे । निम्नलिखित घोषणा / प्रमाण–पत्र सी. ए.एफ. का भाग होंगे :
	(क) पेशेवरों के वैध <u>पंजीकरण / योग्यता</u> प्रमाणपत्र के साथ घोषणा प्रोफॉर्मा—I में वास्तुकार, अभियंता, संरचना अभियंता, पर्यवेक्षक, भूदृश्य वास्तुकार, नगर नियोजक आदि जैसे पेशेवरों जो भी लागू हो को नियुक्त करना। नियुक्त पेशवरों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना पेशवरों के वैध पंजीकरण / योग्यता प्रमाण पत्र के साथ घोषणा प्रोफॉर्मा—I में दी जाएगी।	पेशेवर (पेशेवरों) के वैध <u>पंजीकरण / योग्यता</u> प्रमाणपत्र के साथ वास्तुकार, अभियंता, संरचना अभियंता, पर्यवेक्षक, भूदृश्य वास्तुकार, नगर नियोजक आदि जैसे पेशेवरों जो भी लागू हो को नियुक्त करना। नियुक्त पेशेवर (पेशवरों) में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी
	(ख) संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र का प्रोफॉर्मा घोषणा प्रोफॉर्मा—2 में दिया गया है। (ग) पर्यवेक्षण, विवाद न करना और मलबा हटाने के लिए प्रमाण पत्र का प्रोफॉर्मा घोषणा प्रोफॉर्मा—3 में दिया गया है।	सूचना पेशवरों के वैध पंजीकरण / योग्यता प्रमाण पत्र के साथ दी जाएगी । सी.ए.एफ. में संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र, पर्यवेक्षण— विवाद न करना और मलबा हटाना, बेसमेंट के लिए क्षतिपूर्ति हेतु प्रमाणपत्र भी शामिल होंगे।

2010 GI/2018 (1)

2.	2.1.4 बेसमेंट निर्माण के मामले में स्वामी (स्वामियों) द्वारा क्षतिपूर्ति बंध-पत्र। बेसमेंट निर्माण के मामले में स्वामी (स्वामियों) द्वारा फॉर्म ए-1 में दिये प्ररूप में क्षतिपूर्ति बंध-पत्र प्रस्तुत किया जाए।	यह हटा दिया गया है ।
3.	2.1.5 भू—तकनीकी अभियंता से मिट्टी की जाँच रिपोर्ट अधिक जोखिम वाले भवनों के मामले में भू—तकनीकी अभियंता, जो अनुलग्नक—I के अनुसार योग्यता रखता हो एवं सक्षम हो, द्वारा मिट्टी की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए । इस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर संरचनात्मक ड्राइंगें तैयार की जाएं।	2.1.4 भू—तकनीकी अभियंता से मिट्टी की जाँच रिपोर्ट अधिक जोखिम वाले भवनों के मामले में भू—तकनीकी अभियंता, जो अनुलग्नक—I के अनुसार योग्यता रखता हो एवं सक्षम हो, द्वारा मिट्टी की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। इस रिपोर्ट को ध्यान में रखकर संरचनात्मक ड्राइंगें तैयार की जाए।
4.	2.6.5 सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. पर हस्ताक्षर करना एवं घोषणा : स्वामी, वास्तुकार तथा अन्य पेशेवरों, जैसा लागू हो, द्वारा सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. में घोषणा प्रारूप—2 में दिए गए प्रारूप में संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण—पत्र शामिल होगा ।	2.6.5 सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. पर हस्ताक्षर करना एवं घोषणा : स्वामी, वास्तुकार तथा अन्य पेशेवरों, जैसा लागू हो, द्वारा सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सी.ओ.सी.सी.आर.एफ. में घोषणा प्रारूप में दिए गए प्रारूप में संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण— पत्र शामिल होगा।
5.	2.7.3 आंशिक ओ.सी.सी. : पर्यावास की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने वाली किसी संरचना को आंशिक ओ.सी.सी. जारी किया जा सकता है । तथापि, आंशिक ओ.सी.सी. जारी करने से भवन परिमट की वैधता प्रभावित नहीं होगी । वैधता अविध समाप्त होने के पश्चात् चाहे आंशिक ओ.सी.सी. जारी किया गया हो अथवा न किया गया हो, भवन परिमट को पुनर्वेध कराना होगा ।	2.7.3 आंशिक ओ.सी.सी. : बाहरी एजेंसियों से सभी अपेक्षित अनुमोदन, जैसे और जब लागू हो, सिहत भूमि से टेरेस फ्लोर (स्टिल्ट एवं बेसमेंट सिहत, यदि निर्मित हो) तक सभी प्रकार से पूर्ण (2.7.2 देखें) कम से कम एक ब्लॉक के लिए आंशिक ओ.सी.सी. जारी की जा सकती है । तथापि, आंशिक ओ.सी.सी. जारी करने से भवन परमिट की वैधता प्रभावित नहीं होगी । वैधता अविध समाप्त होने के पश्चात् चाहे आंशिक ओ.सी.सी. जारी किया गया हो अथवा न किया गया हो, भवन परमिट को पुनर्वेध कराना होगा ।
6.	2.8 नियमितिकरण भवन नक्शे और / अथवा ओ.सी.सी. की संस्वीकृति प्राप्त करके अथवा प्राप्त किए बिना अनिधकृत रूप से निर्मित किसी भवन अथवा उसके किसी भाग को यदि वह भवन निर्माण उपविधि तथा दि.मु.यो. के प्रावधानों के दायरे में हो, फॉर्म डी–3 के अनुसार, अनुलग्नक—IV के अनुसार अपेक्षित शुल्क और प्रभार का भुगतान करने पर नियमित किया जा सकता है ।	2.8 नियमितिकरण भवन नक्शे और/अथवा ओ.सी.सी. की संस्वीकृति प्राप्त करके अथवा प्राप्त किए बिना अनिधकृत रूप से निर्मित किसी भवन अथवा उसके किसी भाग को यदि वह भवन निर्माण उपविधि तथा दि.मु.यो. के प्रावधानों के दायरे में हो, फॉर्म डी–3 के अनुसार, अनुलग्नक—III एवं अनुलग्नक—IV के अनुसार अपेक्षित शुल्क और प्रभार का भुगतान करने पर नियमित किया जा सकता है।
7.	अनुलग्नक—I प्रोफेशनल की अर्हता और सक्षमता (कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.13 को देखें)	अनुलग्नक—I प्रोफेशनल की अर्हता और सक्षमता (कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.0.4(i) को देखें)
8.	अनुलग्नक—II विरासत भवनों, विरासत / परिवेश एवं प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों सहित विरासत स्थलों का संरक्षण (कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.18.2 और 7.26 को देखें)	अनुलग्नक—II विरासत भवनों, विरासत / परिवेश एवं प्राकृतिक विशेषता वाले क्षेत्रों सहित विरासत स्थलों का संरक्षण (कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.3.3 और 7.26 को देखें)
9.	अनुलग्नक—III शुल्क एवं प्रभार (कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.15 को देखें)	अनुलग्नक—III शुल्क एवं प्रभार (कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.2 को देखें)
10.	अनुलग्नक—IV मुख्य योजना /क्षेत्रीय योजना विनियमों / उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दंडात्मक कार्रवाई (कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.29.1 को देखें)	अनुलग्नक—IV मुख्य योजना / क्षेत्रीय योजना विनियमों / उपविधियों के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दंडात्मक कार्रवाई (कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.2, 2.7.7(बी) एवं 2.8 को देखें)

11.	अनुलग्नक–V	अनुलग्नक–V
	नियम 27 : अधिभोग की वे श्रेणियां जिनसे अग्नि का जोखिम हो सकता है।	नियम 27 : अधिभोग की वे श्रेणियां जिनसे
	(कृपया इस दस्तावेज के खंड 2.8 और 9.3 को देखें)	अग्नि का जोखिम हो सकता है। (कृपया इस
		दस्तावेज के खंड 9.3 को देखें)
12.	अनुलग्नक–XII	अनुलग्नक–XII
	सरकारी भवन योजना की मंजूरी हेतु सरलीकृत प्रक्रिया । (कृपया इस दस्तावेज	सरकारी भवन योजना की मंजूरी हेतु
	का अध्याय २.३१ देखें)	सरलीकृत प्रक्रिया । (कृपया इस दस्तावेज का
	,	अध्याय 2.1.2 (सी) एवं 2.6.2(सी) देखें)
13.	अनुलग्नक–XII	अनुलग्नक–XII
	शपथ पत्र	वचनबंध-पत्र
	10 रु./– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर वास्तुकार का शपथ पत्र, जिसे	वास्तुकार का वचनबंध—पत्र
	नोटरी पब्लिक / मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से साक्ष्यांकित कराया जाए ।	3
	शपथ पत्र एवं वचनबंध-पत्र	
14.	शपथ पत्र	वचनबंध-पत्र
	10 रु./— के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर आवेदक/प्राधिकृत प्राधिकारी	आवेदक / प्राधिकृत प्राधिकारी का वचनबंध—पत्र
	का शपथ पत्र, जो नोटरी पब्लिक / मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से साक्ष्यांकित कराया	, ,
	जाए ।	
	शपथ पत्र एवं वचनबंध-पत्र	

सरकारी भवन योजना की मंजूरी हेतु सरलीकृत फार्म/प्रोफॉर्मा तथा सरलीकृत प्रक्रिया अनुलग्नक-ग एवं अनुलग्नक-XII के अनुसार होगी ।

[सं. एफ. 15(06)2016 / एम.पी. / पार्ट] डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

संलग्नक—'ग'

सामान्य आवेदन–पत्र

(अध्याय 2, 2.1.3)

डिजाइन एवं विनिर्दिष्टियों के अनुसार भवन में निर्माण, पुनर्निर्माण, निर्माण गिराने अथवा सामग्री परिवर्तन के लिए आवेदन-पत्र

(स्वामी द्वारा जमा कराया जाए)

सेवा में,	
	नई दिल्ली
महोदय /	महोदया,
	मैं / हम एतद्द्वारा सूचना देता हूँ / देते हैं कि मैं / हम दिल्ली भवन निर्माण उप-विधि के अनुसार भवन सं.
	ब्लॉक सं मकान सं योजना स्थान में निर्माण/पुनर्निर्माण/
	करना चाहता हूँ / चाहते हैं और मेरे और(वास्तुकार / पैनलबद्ध अभियंता का नाम), वास्तुकार का
पंजीकरण	:/ इंजीनियर पैनल सं, संरचना अभियंताद्वारा
	हस्ताक्षरित निम्नलिखित नक्शे और विनिर्दिष्टियां तथा अन्य विवरण/दस्तावेजों (जैसा लागू हो) की प्रति भी इसके साथ
	हूं, जिन्होंने नक्शे, डिजाइन आदि तैयार किए हैं।
संलग्नक	:

- 1. प्लान एवं ड्राइंग (अध्याय 2, 2.1.1)
- 2. स्वामित्व दस्तावेज (अध्याय 2, 2.1.2)
- 3. घोषणा-प्रपत्र (अध्याय 2, 2.1.3)

निर्माण–कार्य संस्वीकृत भवन प्लान के अनुसार किया जाएगा । ऐसे निर्माण कार्यों के संबंध में स्वामी / पर्यवेक्षक (जो निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे हैं) की तरफ से हुई भूल के लिए वे स्वयं जवाबदेह होंगे ।

टिप्पणी : इस आवेदन—पत्र के साथ शपथ—पत्र (शपथपत्रों) / ई—स्टाम्प पेपर (पेपरों) / बंधपत्रों) आदि जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

घोषणा प्रपत्र

पेशेवरों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र (वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक)

वास्तुकार/अभियता/पर्यवेक्षक

(वास्तुकार/ अभियंता/पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

(अध्याय 2, पैरा 2.1.3)

मैं / हम जिसका	सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री श्री / श्रीमतीव्यवसाय वास्तुकार / अभियंता / पर्यवेक्षक कार्यालयस्थत है, एतद्द्वारा निम्नानुसार यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि :
1.	कि मैं व्यवसाय से एक वास्तुकार हूँ और पंजीकरण संद्वारा वास्तुकला परिषद में पंजीकृत हूँ।
	अथवा
	कि मैं व्यवसाय से एक अभियंता हूँ और इन उप विधि के अंतर्गत सक्षमता के अनुसार विधिवत संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी हूँ।
	अथवा
	कि मैं व्यवसाय से एक पर्यवेक्षक हूँ और इन उप विधि के अंतर्गत सक्षमता के अनुसार विधिवत् संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी हूँ ।
2.	कि मुझे सामान्य आवेदन—पत्र के अनुसार भवन के वास्तुकलात्मक डिजाइन तैयार करने के लिए वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
3.	कि यदि स्वामी किसी भी स्तर पर मेरी सेवाएं लेने से मना करता है, तो मैं भवन निर्माण के स्तर / वस्तुस्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ सहित 07 दिन के अंदर संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को सूचित करूंगा।
4.	कि यदि मैं (वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक) परियोजना के साथ आगे कार्य जारी न रखने का निर्णय लेता हूँ, तो मैं 07 दिन के अंदर स्वामी को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को इसकी सूचना दूँगा।
	संरचना अभियंता
	(अध्याय 2, पैरा 2.1.3)
	(संरचना अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाए)
,	मैं / हमव्यवसाय संरचना अभियन्ता, कार्यालयएतद्द्वारा निम्नानुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ / करते हैं :
1.	कि मैं इन उपविधि के अंतर्गत सक्षमता के अनुसार व्यवसाय से एक संरचना अभियंता हूँ ।
2.	कि सामान्य आवेदन—पत्र के अनुसार मुझे भवन के संरचनात्मक डिजाइन तैयार करने के लिए संरचना अभियन्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।
3.	कि यदि स्वामी किसी भी स्तर पर, चाहे जो भी हो, मेरी सेवाएं लेने से मना करता है, तो मैं 7 दिन के अंदर भवन निर्माण के स्तर / वस्तुस्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ सहित संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को सूचना दूँगा।
4.	कि यदि मैं (संरचना अभियंता) आगे परियोजना के साथ कार्य जारी नहीं रखने का निर्णय लेता हूँ, तो मैं 7 दिन के अंदर स्वामी को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को इसकी सूचना दूँगा।
5.	मैं संरचनात्मक सुरक्षा के लिए यू.बी.बी.एल. 2016 के अध्याय 2 , पैरा 2.1.3, 2.1.4 के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण—पत्र का वचन देता हूं :—
	 प्रमाणित किया जाता है कि संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए भवन के नक्शे सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किए जाएंगे/किए गए हैं।
	II. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संरचनात्मक डिजाइन पर मिट्टी की स्थिति (

क. संलग्नक : अति जोखिम वाले भवन के मामले में मिट्टी जाँच रिपोर्ट।

पर्यवेक्षक

(अध्याय 2, पैरा 2.1.3)

(वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

मैं / हम, सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्र	প্রী	व्यवसाय पर्यवेक्षक,	कार्यालय	, एतद्द्वारा
निम्नानुसार सत्यनिष्ठापूर्वक अभिज्ञान और घ				`

- 1. कि मैं व्यवसाय से एक वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक हूँ और इन उप-विधि के अंतर्गत सक्षम हूँ ।
- 2. कि सामान्य आवेदन—पत्र के अनुसार मुझे भवन के निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए वास्तुकार / अभियंता / पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है ।
- 3. कि यदि स्वामी किसी भी स्तर पर, चाहे जो भी हो, मेरी सेवाएं लेने से मना करता है, तो मैं 7 दिन के अंदर भवन निर्माण के स्तर/वस्तुस्थिति को दर्शाने वाले फोटोग्राफ सहित संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को इसकी सूचना दूंगा ।
- 4. कि यदि मैं (वास्तुकार / अभियंता / पर्यवेक्षक) परियोजना के साथ आगे कार्य जारी नहीं रखने का निर्णय लेता हूँ, तो मैं 7 दिन के अंदर स्वामी को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुए संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को इसकी सूचना दूंगा ।

संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण-पत्र (अध्याय 2, पैरा 2.1.3 एवं 2.1.4)

(संरचना अभियंता द्वारा प्रस्तृत किया जाए)

निम्	निखित प्रमाण-पत्र प्लॉट	सं	पर भवन	न सं <u>.</u>	स्थान		योजना		हेतु
	न अनुमति / कार्य-समापन		संस्वीकृति !	प्राप्त करने	के लिए	नक्शों को	जमा करते	समय भवन	नक्शे,
ड्रांइ	गों के साथ प्रस्तुत किया	जाना है।							
1.	प्रमाणित किया जाता है वि	कि संस्वीकृतिदात	। प्राधिकारी व	को प्रस्तुत रि	केए गए	भवन नक्शों	ं को सुरक्षा	आवश्यकत	ाओं के
	लिए डिजाइन किया जाए	गा / किया [ँ] गया है	<u>}</u>						

संलग्नक : अति जोखिम वाले भवन के मामले में मिट्टी की जांच रिपोर्ट।

पर्यवेक्षण, कोई भी हानिकारक सामग्री न होने और मलबा हटाने हेतु प्रमाण-पत्र (अध्याय 2, पैरा 2.1.3)

(वास्तुकार/अभियंता/परियोजना प्रबंधक/संरचना अभियंता/पर्यवेक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

- 1. प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट पर भवन सं. में निर्माण / पुनर्निर्माण, निर्माण गिराने का कार्य अथवा सामग्री में परिवर्तन तथा जल निकासी/सेनेटरी कार्य मेरे पर्यवेक्षण में किया जाएगा/निष्पादित किया जाएगा और मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि कार्य के लिए सामग्री (प्रकार एवं ग्रेड) तथा कार्य का कर्म—कौशल कार्य के साथ प्रस्तुत की गई विनिर्दिष्टियों के अनुसार होंगे तथा इसे संस्वीकृत नक्शों में अनुमोदित संरचनात्मक डिजाइन के अनुसार पूरा किया जाएगा, जिसमें जल निकासी, सेनेटरी, जल—आपूर्ति, विद्युत, अग्नि सुरक्षा जैसी सेवाएं शामिल होंगी। निर्माण—कार्य के दौरान कोई भी नॉन कंपाउंडिंग विचलन नहीं होगा।
- 2. प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण—कार्य के दौरान मलबे को साप्ताहिक आधार पर हटा लिया जाएगा । यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो ऐसे मामले में स्थानीय निकाय मलबे / कचरे को हटा सकता है तथा जुर्माने सहित इसकी लागत को मुझसे / हमसे वसूल किया जाए ।
- 3. प्रमाणित किया जाता है कि मैं / हम न्यूनतम 8 फीट की स्क्रीन वॉल खडी करके मुख्य रोड के साथ निर्माण स्थल पर एक उचित स्क्रीन लगाएंगे, जिसे रोड की तरफ से पैन्ट कर दिया जाएगा ताकि वह अशोभनीय न लगे। इसके अतिरिक्त, निर्माण—कार्य के दौरान गिरने वाली सामग्री को सुरक्षित क्षेत्र में रखने के लिए भवन के अग्रभाग पर एक जाल अथवा कुछ अन्य सुरक्षित सामग्री लगानी होगी।
- प्रमाणित किया जाता है कि रात्रि के दौरान अपराह्न 10 बजे से पूर्वाह्न 6 बजे तक शोर करने वाला कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा ।

तहखाने के लिए क्षतिपूर्ति बंध—पत्र (अध्याय 2, पैरा 2.1.3)

(स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

एतद्द्वारा निम्नलिखित के साक्षी हैं :-

जबिक स्वामी (स्वामियों) ने तहखाने का नक्शा प्रस्तुत कर दिया है और जबिक स्वामियों ने संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को निवेदन किया है और यदि उक्त तहखाने के निर्माण के लिए संस्वीकृति दे दी जाती है, तो स्वामी उक्त तहखाने की नींव खोदते समय या तहखाने के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी नुकसान की संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को क्षतिपूर्ति करेंगे और,

जबिक, स्वामी इसके आगे नुकसान, प्रतिपूर्ति, अथवा किसी अन्य रूप से संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के विरूद्ध लगाए गए दावों की क्षितिपूर्ति करने को सहमत हैं यदि संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी संलग्न संपत्तियों के व्यक्ति, स्वामी या स्वामियों से ऐसी धनराशि के भुगतान करने की अपेक्षा करता है । स्वामी एतद्द्वारा सहमत हैं और संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को धनराशि की पूरी मात्रा देने के लिए क्षितिपूर्ति करने का वचन देते हैं, जो कि संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी यहां ऊपर उल्लिखित पूरी मात्रा अदा करने की अपेक्षा करें और

जबिक स्वामी इसके आगे वचन देते हैं और संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को किसी भी ऐसी धनराशि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हैं, जिसकी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी क्षतिपूर्ति या नुकसान के रूप में या किसी अन्य धनराशि के भुगतान की अपेक्षा कर सकता है और इसके आगे प्राधिकारी / संबंधित स्थानीय निकाय को उस समस्त लागत और खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं जिसकी संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को किसी भी विधि न्यायालय में किसी भी कार्यवाही को सुनिश्चित करने में आवश्यकता हो सकती है । स्वामी वचन देते हैं कि प्लॉट की अनुमत बाउंड्री के बाहर कोई खुदाई नहीं करेंगे । सार्वजनिक सीवरों, जल निकासी के स्थान पर की गई खुदाई के दौरान या उसके कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति को स्वामी / स्वामियों के द्वारा पूरा किया जाएगा ।

अतः उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए स्वामी (स्वामियों) द्वारा संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को एतद्द्वारा वचन एवं क्षतिपूर्ति बंध-पत्र दिया जाता है, इसलिए संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी उक्त स्वामी (स्वामियों) को तहखाने सहित भवन की संस्वीकृति प्रदान करते हैं।

- (क) स्वामी के डिजिटल हस्ताक्षर
- (ख) संरचना अभियंता के डिजिटल हस्ताक्षर (संरचनात्मक डिजाइन के लिए उत्तरदायी)
- (ग) वास्तुकार/अभियंता/पर्यवेक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर (संरचनात्मक डिजाइन के लिए उत्तरदायी)
- (घ) पर्यवेक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर (निर्माण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी)

प्रावधानों को शामिल किया गया है, के अनुसार किया गया है।

साधारण अधिभोग एवं कार्य समापन अनुरोध फार्म (अध्याय 2, पैरा 2.6 एवं 2.6.5) (भवन समापन की सूचना)

सेवा में,	
नई दिव	ली
महोदय,	
काम क अनुसार	हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमने पर भवन सं ब्लॉक सं के निर्माण / पुनर्निमाण अथवा सामग्री परिवर्तन के ा पर्यवेक्षण कर लिया है और कार्यालय पत्राचार सं दिनांकद्वारा संस्वीकृत नक्शों के दिनांक
	णित किया जाता है कि भवन/भवनों का निर्माण संस्वीकृत नक्शे और संरचनात्मक डिजाइन (निष्पादित संरचनात्मक ड्राइंगो सैट संलग्न है) जिसमें संबंधित प्रचलित आई एस कोडों/मानकों/दिशा–निर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट संरचनात्मक सुरक्षा के

- (ii) इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी सेवाओं की विस्तृत ड्राइंगों और विनिर्दिष्टयों को जनोपयोगी सेवाओं के लिए अभियंता द्वारा तैयार किया गया है।
- (iii) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निर्माण कार्य पर्यवेक्षक के पर्यवेक्षण में किया गया है और प्रस्तुत की गई सभी ड्राइंगों का अनुपालन किया गया है तथा पर्यवेक्षण के रिकॉर्ड को बनाए रखा गया है।

घोषणा प्रपत्र

संरचनात्मक सुरक्षा का प्रमाण पत्र

(अध्याय 2, पैरा 2.6.5)

(संरचनात्मक अभियंता द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

	भवन अ	खेत प्रमाण–पत्र प्लॉट सं पर भवन सं स्थानयोजना हेतु नुमति अधिभोग एवं कार्य समापन की संस्वीकृति प्राप्त करने के लिए नक्शों को जमा करते समय भवन नक्शे, हे साथ प्रस्तुत किया जाता है।
	1.	प्रमाणित किया जाता है कि संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को प्रस्तुत किए भवन नक्शों को सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किया जाएगा / किया गया है।
	2	यह भी प्रमाणित किया जाता है कि संरचनात्मक डिजाइन पर मिट्टी की स्थिति (
	संल	ग्नक : अति जोखिम वाले भवन के मामले में मिट्टी की जांच रिपोर्ट।
संलग्न	क :	
1.	नक्शे एव	ं ड्राइंगे (अध्याय २,२.६.१)
2.	स्वामित्व	हेतु दस्तावेज (अध्याय २,२.६.२)
3.	लिफ्ट नि	र्माण का प्रमाण पत्र (अध्याय २,२.६.३)
4.	भवन का	फोटो (अध्याय २,२.६.४)
		करने अथवा उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। कार्य—समापन ड्राइंगों से तदन्तर किसी भी परिवर्तन मियों की होगी।
(क) स्व	गामी के डि	जिटल हस्ताक्षर
(ग) वा (वास्तुव (घ) पर (निर्माण	स्तुकार/३ ज्लात्मक डि विक्षक के कार्य के	ायंता के डिजिटल हस्ताक्षर (संरचनात्मक डिजाइन के लिए उत्तरदायी) ाभियंता/पर्यवेक्षक के डिजिटल हस्ताक्षर जाइन के लिए उत्तरदायी) डिजिटल हस्ताक्षर पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी) आवेदन-पत्र के साथ शपथ-पत्र/नोटरी से शपथपत्र/ई-स्टाम्प पेपर/बन्धपत्र आदि जमा करने की कोई
आवश्य	कता नहीं है	
		अनुबंध—XII
		सरकारी भवन नक्शा संस्वीकृति के लिए सरलीकृत प्रक्रिया
		(कृपया इस दस्तावेज के अध्याय 2.1.2(ग) एवं 2.6.2(ग) का संदर्भ लें)
		वचन बंध—1
वास्तव	गर का वर	
Ŭ		
निदेशि	त / नियुक्त	पेशा वास्तुकार,
1.	कि मैं पंजीकरण	पेशे से वास्तुकार औरमें कार्यरत हूं अथवा । सं के अन्तर्गत वास्तुकार परिषद् से वास्तुकार (पंजीकृत) हूं।
2.	कि मैं	के संबंध में भवन नक्शों को बनाने तथा निर्माण कार्य पूरा होने तक निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक वास्तुकार
	 के रूप	के संबंध में भवन नक्शों को बनाने तथा निर्माण कार्य पूरा होने तक निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक वास्तुकार में नियुक्त किया गया हूं।

- 3. कि मैंने उपर्युक्त प्लॉट के संबंध में भवन नक्शे तैयार कर लिए हैं।
- 4. कि मैंने कॉलोनी के ले–आउट नक्शों को समझ लिया है तथा प्लॉट एवं कॉलोनी के संबंध में अनुदेशों, नीति संबंधी निर्णयों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया है।
- 5. कि मैंने स्थल का स्वयं निरीक्षण किया है, जो प्लॉट की अवस्थिति, आकार, रूप तथा क्षेत्रफल के संबंध में अनुमोदित ले—आउट प्लान का भाग है तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग भी अनुमोदित ले—आउट प्लान के अनुरूप है । प्लॉट का स्थल पर सीमांकन किया गया है और स्थल पर उपलब्ध प्लॉट के आकार, रूप तथा क्षेत्रफल का अनुमोदित ले—आउट प्लान से मिलान कर लिया है।
- 6. कि स्वामित्व दस्तावेज आवेदक के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख / पट्टा विलेख के रूप में है और मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है तथा आवेदक के पक्ष में स्वामित्व उचित हैं।
- 7. कि प्लॉट में कोई निर्माण नहीं हुआ है तथा भवन नक्शों की संस्वीकृति से पहले कोई निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जाएगा।
- 8. कि नगर निगम भूमि/सड़क/अन्य सम्पत्ति पर कोई अतिक्रमण नहीं है और ले–आउट प्लान में दिखाई गई सड़क की चौडाई स्थल पर उपलब्ध है।
- 9. कि प्रस्ताव पट्टा विलेख के निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप हैं, जो अभी भी लागू हैं तथा पट्टा विलेख के अनुसार निर्माण की अवधि एवं पट्टाकर्ता द्वारा बढ़ाया गया समय तक वैध है।
- 10. कि प्रस्ताव को इन भवन निर्माण उपविधि, नियमों, विनियमों और विभाग की पद्धित के अनुसार सही रूप में तैयार किया गया है तथा इन भवन निर्माण उपविधि के प्रावधानों का नक्शों के निर्माण के समय गलत व्याख्या अथवा अनुमान नहीं लगाया है। निर्माण–कार्य संस्वीकृत भवन नक्शों के अनुसार उचित रूप से किया जाएगा तथा यदि कोई अन्तर पाया गया तो मैं तत्काल इसकी सूचना संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को दूँगा।
- 11. कि किसी भी स्तर पर, चाहे जो कुछ भी हो, परियोजना में अन्य वास्तुकार की नियुक्ति के मामले में, मैं 48 घण्टों के अन्दर संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को सूचित करूंगा।
- 12. कि यथा प्रस्तावित अनिवार्य सैटबैक्स को दिल्ली मुख्य योजना/ले—आउट प्लान के प्रावधान के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
- 13. कि प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व, आवश्यक जानकारी / स्पष्टीकरण संबंधित योजना विंग से प्राप्त किया गया है । प्लॉट / स्थल पर किसी योजना अथवा सड़कों की चौड़ाई आदि के विषय में कोई विवाद / उसका कोई प्रभाव नहीं है । निर्धारित उपयोग के लिए भवन क्रियाकलाप, अर्थात् दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार अनुमत्त है।
- 14. कि इस प्लॉट के प्रति कोई विकास/अतिरिक्त विकास/कमी प्रभार बकाया नहीं है (यदि कोई विकास/अतिरिक्त विकास/कमी प्रभार बकाया है, तो अलग से एक पैरा में विवरण दिया जाए।)
- 15. कि भवन नक्शों को तैयार करते समय एवं जमा करते समय कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा कोई गलत व्याख्या नहीं की गई है।
- 16. कि यदि उपर्युक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर कुछ प्रतिकूल पाया गया अथवा स्थापित किया गया, तो संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को स्वतंत्रता होगी कि वे जो उचित समझे, कार्रवाई करें, जिसमें भवन नक्शों की संस्वीकृति का प्रतिसंहरण तथा योजना के अंतर्गत संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी के साथ भवन नक्शों को जमा करने से मुझे रोकना शामिल है तथा उचित कार्रवाई हेतु वास्तुकार परिषद् के पास शिकायत भी दायर कर सकते हैं।

वास्तुकार

वचनबंध-2

आवेदक / प्राधिकृत प्राधिकारी का वचनबंध

मैं / हम	(प्राधिकृत हस्ताक्षरी)एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक निम्नलिरि	, क खेत प्रतिज्ञान और घ	ार्यालय पता ोषणा करता हूँ / करते	· हैं :	
1.	कि मैं / हम का / के ए प्लॉट सं. का / के ए स्वामी / पट्टाधारी नहीं है।	. स्थित एकमात्र स्वामी / पट्	टाधारी हूं/हैं और	ब्लॉक सं उसके संबंध में	के कोई अन्य
2.	कि मैंने/हमने श्रीतैयार करने के लिए और उपर्युक्त प्लॉट का निम नियुक्त/निदेशित किया है।	पंजीकरण र्गाण कार्य पूरा होने त	सं तक निर्माण के पर्यवेक्षा	को भवन ण के लिए वास्तुकार	नक्शों को एके रूप में

- 3. कि यदि मैं / हम निर्माण के वास्तविक रूप से समाप्त होने से पूर्व किसी भी स्तर पर उपर्युक्त नामित वास्तुकार की सेवाओं को समाप्त करते हैं, तो मैं / हम 48 घण्टों के अन्दर संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को सूचित करूंगा / करेंगे।
- 4. कि प्रस्ताव के अधीन प्लॉट अपनी अवस्थिति, आकार, रूप और प्लॉट के क्षेत्रफल के संबंध में अनुमोदित ले आउट नक्शे का भाग है और प्रस्तावित भूमि उपयोग भी अनुमोदित ले आउट नक्शे के अनुरूप है। प्लॉट का स्थल पर सीमांकन किया गया है तथा स्थल पर उपलब्ध प्लॉट का आकार, रूप और क्षेत्रफल अनुमोदित ले—आउट नक्शे से मेल खाता है।
- 5. कि स्वामित्व दस्तावेज बिक्री विलेख / पट्टा विलेख के रूप में है तथा इसमें कानूनी दृष्टि से कोई विवाद / विसंगति नहीं है तथा प्लॉट सभी बाधाओं से मुक्त हैं।
- 6. कि प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं हुआ है तथा भवन नक्शों की संस्वीकृति से पूर्व कोई निर्माण प्रारम्भ नहीं किया जाएगा।
- 7. कि नगर निगम भूमि/सड़क/अन्य सम्पत्ति पर कोई अतिक्रमण नहीं है तथा ले-आउट नक्शे में दर्शाई गई सड़क की चौडाई स्थल पर उपलब्ध है।
- 8. कि प्रस्ताव पट्टा विलेख की उस निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप हैं जो अभी लागू है तथा पट्टा विलेख के अनुसार निर्माण की अविध एवं पट्टाकर्ता द्वारा बढ़ाया गया समयतक वैध है।
- 9. कि प्रस्ताव इन भवन निर्माण उपविधि, नियमों, विनियमों तथा विभाग की कार्य पद्धित के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा इन एकीकृत भवन निर्माण उपविधि के प्रावधानों की नक्शों को तैयार करते समय कोई गलत व्याख्या अथवा निष्कर्ष नहीं निकाले गए हैं । निर्माण संस्वीकृत भवन नक्शों के अनुसार सख्ती से किया जाएगा तथा यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो मैं/हम 48 घण्टों के अन्दर संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को सूचित करूंगा/करेंगे।
- 10. अनिवार्य सैटबैक्स प्रस्तावित किए गए हैं तथा ले आउट नक्शों / दि.मु.यो. में चिन्हित सैटबैक्स के अनुसार बनाए रखे जाएंगे।
- 11. कि प्रस्तावों को प्रस्तुत करने से पूर्व, आवश्यक सूचना / स्पष्टीकरण संबंधित योजना विभाग से प्राप्त किया गया है । प्लॉट सुरक्षित है तथा यह किसी योजना अथवा सड़क की चौड़ाई से प्रभावित नहीं है। भवन गतिविधियां अनुमोदित ले आउट नक्शों के अनुसार हैं।
- 12. कि इस प्लॉट के प्रति कोई विकास/अतिरिक्त विकास/कमी प्रभार देय नहीं है । (यदि कोई विकास/अतिरिक्त विकास/कमी प्रभार देय हैं, तो इसका विवरण अलग से पैरा में दिया जाए।)
- 13. कि निर्माण के समय या उसके बाद कोई गैर-समाधेय विचलन नहीं किया जाएगा।
- 14. कि भवन नक्शों को तैयार करते समय तथा प्रस्तुत करते समय कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा कोई मिथ्या निरूपण नहीं किया गया है।
- 15. कि यदि किसी भी स्तर पर उपर्युक्त के विपरीत कुछ पाया जाता है अथवा स्थापित किया जाता है, तो संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को पूरी स्वतंत्रता है कि वह कोई भी उचित कार्रवाई कर सकता है जिसमें भवन नक्शों को रद्द करना तथा निर्माण गिराना / परिसर को सील करना शामिल है।
- 16. कि भवन का निर्माण कार्य पूरा होने पर, भवन को संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी से अधिभोग प्रमाण–पत्र (ऑक्यूपन्सी सर्टिफिकेट) प्राप्त किए बिना उपयोग नहीं किया जाएगा तथा जिस उपयोग के लिए संस्वीकृति दी गई है उसी के लिए भवन का उपयोग किया जाएगा।
- 17. कि मैं / हम सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं / देते हैं कि मैं / हम संस्वीकृत भवन नक्शों तथा इन भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार निर्माण करूंगा / करेंगे । यदि कोई अन्तर किया गया, तो किसी अन्य कार्रवाई के अलावा, निर्माण को अनिधकृत मान लिया जाएगा तथा संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी को इसके निर्माण का पूरा या कुछ अंश गिराने / सील करने की स्वतंत्रता है तथा मैं / हम संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी अथवा उसके किसी कार्यालय से किसी मुआवजे, क्षतिपूर्ति अथवा हानि का दावा नहीं करूंगा / करेंगे । यह संबंधित अधिनियम, 1957 (समय—समय पर यथा संशोधित) तथा इन भवन निर्माण उप विधियों के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई के अलावा है ।

आवेदक / प्राधिकृत प्राधिकारी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2018

Sub: Modification in UBBL 2016 Notified vide S.O 1053 (E) dated 5th April 2017 for sub-clauses, simplification of forms/proformas and omission of submission of Bond(s)/Affidavit(s).

S.O. 1487(E).—In exercise of powers conferred by Section 57 of Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957), the Delhi Development Authority, with the prior approval of the Central Government, hereby make the following modification in the Unified Building Bye-Laws (UBBL) for Delhi 2016.

S. No	Chapter/Para/Clause/Sub-clause of UBBL 2016 Notified vide S.O 1053 (E) dated 5 th April 2017	Proposed Modifications
i	ii	iii
1	2.1.3 Signing of CAF and Declarations:	2.1.3 Signing of CAF and Declarations:
	CAF shall be signed by the owner, architect and other professionals, as applicable. The following declarations/certificates shall be part of CAF:	CAF shall be signed by the owner, architect and other professionals, as applicable. The following declarations/ certificates shall be part of CAF:
	 (a) Appointment of professionals such as architect, engineer, structural engineer, supervisor, landscape architect, town planner, etc., whichever are applicable, in Declaration Proforma-1, along with valid registration/ qualification certificate of the professional(s). Whenever there is a change in the appointed professional(s), an intimation to this effect shall be submitted in Declaration Proforma-1, along with valid registration/qualification certificate of the professional(s). (b) Structural Safety Certificate in proforma 	Appointment of professionals such as architect, engineer, structural engineer, supervisor, landscape architect, town planner, etc., whichever are applicable along with valid registration/qualification certificate of the professional(s). {Whenever there is a change in the appointed professional(s), an intimation to this effect shall be along with valid registration/qualification certificate of the professional(s)}. The CAF shall also include Structural Safety Certificate, Certificate for Supervision-No Nuisance and Debris
	given in Declaration Proforma-2.	Removal, Indemnity for Basement.
	(c) Certificate for Supervision, No Nuisance and Debris Removal in proforma given in Declaration Proforma-3.	
2	2.1.4 Indemnity Bond by the Owner(s), in case basement is to be constructed	deleted
	Indemnity Bond, in the proforma given in Form A-1, shall be submitted by the owner(s), in case basement is to be constructed.	
3	2.1.5 Soil Testing Report from Geo-Technical Engineer	2.1.4 Soil Testing Report from Geo-Technical Engineer
	In case of high risk buildings, a Soil Testing Report from Geo-Technical Engineer, having qualification and competence as per Annexure-I, shall be submitted. Structural drawings shall be prepared by taking this report into account.	In case of high risk buildings, a Soil Testing Report from Geo-Technical Engineer, having qualification and competence as per Annexure-I, shall be submitted. Structural drawings shall be prepared by taking this report into account.
4	2.6.5 Signing of COCCRF and Declarations:	2.6.5 Signing of COCCRF and Declarations:
	COCCRF shall be signed by the owner, architect and other professionals, as applicable. COCCRF shall include Structural Safety Certificate in proforma given in Declaration Proforma-2.	COCCRF shall be signed by the owner, architect and other professionals, as applicable. COCCRF shall include Structural Safety Certificate as given in the Declaration Proforma.
5	2.7.3 Part OCC: Part OCC can be issued for any structure which meets the minimum requirement of habitation. However, issue of part OCC will not affect the validity of the building permit. After expiry of validity period,	2.7.3 Part OCC: Part OCC can be issued for at least one block complete in all respects (refer 2.7.2) from Ground to Terrace floor (including stilt & basement, if constructed) with all the due approvals from the external agencies, as and

2001GI/2018 (1)

	the building permit will have to be revalidated irrespective of whether part OCC has been issued or not.	when applicable. However, issue of part OCC will not affect the validity of the building permit. After expiry of validity period, the building permit will have to be revalidated irrespective of whether part OCC has been issued or not.
6	2.8 Regularisation	2.8 Regularisation
	Any building or part thereof constructed unauthorisedly with or without obtaining the sanction of building plan and/or OCC, can be regularised, if the same is within the ambit of BBL and MPD provisions by paying requisite fees and charges as per Annexure IV, as per Form D-3.	Any building or part thereof constructed unauthorisedly with or without obtaining the sanction of building plan and/or OCC, can be regularised, if the same is within the ambit of BBL and MPD provisions by paying requisite fees and charges as per Annexure III & Annexure IV, as per Form D-3.
7	ANNEXURE –I	ANNEXURE –I
	QUALIFICATION AND COMPETENCE OF PROFESSIONALS (Please refer clause 2.13 of this document)	QUALIFICATION AND COMPETENCE OF PROFESSIONALS (Please refer clause 2.0.4(i) of this document)
8	ANNEXURE –II	ANNEXURE –II
	Conservation of Heritage Sites including Heritage Building, Heritage/Precincts and Natural Feature Areas (Please refer clause 2.18.2 and 7.26 of this document).	Conservation of Heritage Sites including Heritage Building, Heritage/Precincts and Natural Feature Areas (Please refer clause 2.3.3 and 7.26 of this document).
9	ANNEXURE –III	ANNEXURE –III
	Fees and Charges (Please refer clause 2.15 of this document)	Fees and Charges (Please refer clause 2.2 of this document).
10	ANNEXURE –IV	ANNEXURE –IV
	Penal action for violation of provisions of Master Plan/Zonal Plan Regulations/ Bye-Laws (Please refer clause 2.29.1 of this document).	Penal action for violation of provisions of Master Plan/Zonal Plan Regulations/ Bye-Laws (Please refer clause 2.2, 2.7.7(b) & 2.8 of this document).
11	ANNEXURE –V	ANNEXURE –V
	Rule 27: Classes of occupancies likely to cause a risk of fire (Please refer clause 2.8 and 9.3 of this document).	Rule 27: Classes of occupancies likely to cause a risk of fire (Please refer clause 9.3 of this document).
12	ANNEXURE-XII	ANNEXURE-XII
	Simplified Procedure for Government Building Plan Sanction (Please refer Chapter 2.31 of this document)	Simplified Procedure for Government Building Plan Sanction (Please refer Chapter 2.1.2 (c) & 2.6.2 (c) of this document)
13	ANNEXURE-XII	ANNEXURE-XII
	AFFIDAVIT	UNDERTAKING
	Affidavit of Architect on Rs. 10/Non-judicial stamp paper to be attested by Notary Public / Metropolitan Magistrate	Undertaking of Architect
	AFFIDAVIT-CUM-UNDERTAKING	
14	AFFIDAVIT	UNDERTAKING
	Affidavit of applicant/authorized Authority on Rs. 10/- Non-judicial stamp paper	UNDERTAKING of applicant/authorized Authority
	to be attested by Notary Public/Metropolitan Magistrate	
	AFFIDAVIT-CUM-UNDERTAKING	

Simplified forms/proformas and Simplified Procedure for Government Building Plan Sanction shall be as per Annexure C and Annexure XII.

[No. F. 15(06)2016/MP/Pt.]

D. SARKAR, Commissioner-cum-Secretary

Annexure C

COMMON APPLICATION FORM

(Chapter 2, 2.1.3)

APPLICATION TO ERECT, RE-ERECT, DEMOLISH, OR TO MAKE MATERIAL ALTERATION IN A BUILDING AS PER

DESIGN AND SPECIFICATIONS

(To Be Submitted By the Owner)

(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
To
The
New Delhi.
Madam/ Sir,
I/ We hereby give notice that I/ We intend to erect/re-erect/ alter the Building No on/in plot NoBlock No House Nosituated atSchemeand in accordance with the building Byelaws of Delhi, and I forward herewith the following plans and specifications duly signed by me and (name of Architect/ Empaneled Engineer), Architect's Registration/ Engineer Empanelment No and Structural Engineer
Encl:
1. Plans and Drawings (Chapter2, 2.1.1)
2. Ownership Documents. (Chapter 2, 2.1.2)
3. Declaration Proforma (Chapter 2, 2.1.3)
The construction shall be carried out in accordance with the sanctioned building plan. The Owner/Supervisor (supervising the construction) shall be responsible for any lapse on their part for such construction.
Note: There is no requirement of submission of Affidavit(s)/Notorised Affidavit(s)/e-stamp paper(s)/Bond(s) etc. along with this application form.
DECLARATION PROFORMA
CERTIFICATE OF APPOINTMENT OF PROFESSIONALS
(Architect/Engineer/Supervisor)
ARCHITECT/ENGINEER/SUPERVISOR
(To be submitted by Architect/Engineer/Supervisor)
(Chapter 2, Para 2.1.3)
I/We,occupation
Architect/ Engineer/Supervisor, office at do hereby declare as under:

[भाग]]	[—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	13
1)	No	y profession and duly registered with Council of Architectu	re vide registration
	Or That I am an Engineer sanctioning authority.	by profession and duly as per competency under thes	e bye-laws, in the
	Or		
	That I am a Supervisor sanctioning authority.	by profession and duly as per competency under thes	e bye-laws, in the
2)	That I have been appoint of building as per Comm	ted as an Architect/ Engineer/Supervisor for preparing the son Application Form.	architectural design
3)		dispenses with my services at any stage whatsoever; dy within 7 days along with the photograph of the bug.	
4)	•	/Engineer/Supervisor) decide not to continue further with notioning authority within 7 days with copy to the owner.	project, then I shall
		STRUCTURAL ENGINEER	
		(Chapter 2, Para 2.1.3)	
		(To be submitted by Structural Engineer)	
I/We, Engin	eer, office at	, S/o, W/o, D/o Shrioc	cupation Structural re as under:
1)	That I am a Structural Er	igineer by profession as per competency under these bye-la	ws
2)	That I have been appoin per Common Application	ted as a Structural Engineer for preparing the structural den Form	esign of building as
3)		dispenses with my services at any stage whatsoever; thin 7 days along with the photograph of the building show	
4)		Engineer) decide not to continue further with project, the authority within 7 days with copy to the owner.	n I shall inform the
5)	I undertake the following UBBL 2016)	g Certificate for Structural Safety as per (Chapter 2, Para	2.1.3, 2.1.4 of
I.	Certified that the buildi safety requirements.	ng plans submitted to the sanctioning authority shall be/has	s been designed for
II.	safety from natural haz prepared bywould be/has been duly	the structural design shall be/was based on National Buildi cards, based on soil conditions (as per Soil Testing Repo will be/has been taken into incorporated in structural drawings of the building to be/so ng Report in case of High Risk Building.	rt no dated consideration and
		SUPERVISOR	
		(Chapter 2, Para 2.1.3)	
	('	To be submitted by Architect/Engineer/Supervisor)	
I/V	Ve,	, S/o, W/o, D/o Shri	occupation

Supervisor, office at -----do hereby solemnly affirm and declare as under:

1) That I am an Architect/Engineer/Supervisor by profession as per competency under these bye-laws.

- 2) That I have been appointed as an Architect/Engineer/Supervisor for supervising the construction of building as per Common Application Form.
- 3) That in case the owner dispenses with my services at any stage whatsoever; I shall inform the sanctioning authority within 7 days along with the photograph of the building showing the level/status of the building.
- 4) That in case I (Architect/Engineer/Supervisor) decide not to continue further with project, then I shall inform the same to the sanctioning authority within 7 days with copy to the owner.

CERTIFICATE OF STRUCTURAL SAFETY

(Chapter 2, Para 2.1.3. & 2.1.4)

(To be submitted by Structural Engineer)

following certificate is submitted along with the building plans drawing while submitting sanction of building permit/occupancy-cum-completion on Plot No. Scheme	~ 1	lding at
	been designe	d for
safety from natural hazards, based on soil conditions (as per Soil Testing Report prepared by) will be/has been taken into would be/has been duly incorporated in structural drawings of the building to be/so of the	No dated consideration	ı
	ning sanction of building permit/occupancy-cum-completion on Plot No. Scheme	ning sanction of building permit/occupancy-cum-completion for Building on Plot No situated Scheme Certified that the building plans submitted to the sanctioning authority shall be/has been designed safety requirements. It is also certified that the structural design shall be/was based on National Building Code, inclusing from natural hazards, based on soil conditions (as per Soil Testing Report No dated prepared by

CERTIFICATE FOR SUPERVISION,

NO NUISANCE AND DEBRIS REMOVAL

(Chapter 2, Para 2.1.3)

(To be submitted by Architect/Engineer/Project Manager/Structural Engineer/ Supervisor)

- 2. Certified that the Debris during the construction will be removed on weekly basis. If the same is not done, in that case local body shall remove the mulba/Debris and the cost with penalty be recovered from me/us.
- 3. Certified that during construction I/we shall properly screen the construction site off the main road by means of erecting a screen wall not less than 8 feet, in height from the ground level which shall be painted to avoid unpleasant look from the road side. In addition to this, a net or some other protective material shall be hoisted at the façade of the building to ensure that any falling material remains within this protected area.
- 4. Certified that noise related activities would not be taken up for construction at night during 10 P.M to 6 A.M.

INDEMNITY FOR BASEMENT

(Chapter 2, Para 2.1.3)

(To be submitted by Owner)

HEREBY WITNESSEETH AS FOLLOWS:

WHEREAS the OWNER(S) have submitted the plan of basement & whereas the owners have represented to the sanctioning authority and if sanction is granted for the construction of the said basement the owners shall indemnify sanctioning authority of any loss at the time of digging of foundation of the said basement or in the course of construction of the basement or even thereafter, AND

WHEREAS the OWNER(S) have further agreed to indemnify sanctioning authority for any claims put up against the sanctioning authority body either by way of damage, compensation or in any other way in case the sanctioning authority is required to pay any such amount to any person or the owner or owners of the adjoining properties. The owners hereby agree and undertake to indemnify sanctioning authority to pay the full extent of the amount the sanctioning authority may require to pay to the extent hereinabove mentioned, AND

WHEREAS the OWNER(S) further undertake and agreed to indemnity the sanctioning authority for any such amount sanctioning authority may require to pay either by way compensation or damage or any other amount and further undertake to indemnity the Authority/ concerned local body of all cost and expenses that the sanctioning authority may require to defend such action in any court of law. The owners undertaking that no excavation shall be carried out beyond permissible boundaries of plot. Any damage occurring during or due to excavation made at site to public sewer, water drains shall have to be made good by the OWNER(S).

THEREFORE, WHEREBY, in consideration of the above, an undertaking and indemnity is hereby given by the OWNER(S) to the sanctioning authority and the sanctioning authority in this behalf grant sanction of the building alongwith basement to the said OWNER(S).

- A) Digital Signature of the Owner
- B) Digital Signature of **Structural Engineer** (Responsible for Structural Design)
- C) Digital Signature of **Architect/Engineer/Supervisor** (Responsible for Architectural Design)
- D) Digital Signature of the **Supervisor** (Responsible for supervision of the construction)

COMMON OCCUPANCY-CUM-COMPLETION REQUEST FORM

(Chapter 2, Para 2.6 & 2.6.5)

(INTIMATION OF BUILDING COMPLETION)

To,			
New	Delhi.		
Sir,			
in _	We hereby certify that the erection / re-erection or material alternation in / at buildi		
	scheme has been supervised and has been completed on		
acco	ording to the plans sanctioned, vided office communication No.	date	The
	k has been completed to our satisfaction, the workmanship and all the materials (to strictly in accordance with general and detailed specifications.	ype and	grade) have

- i. Certified that the building(s) has been constructed according to the sanctioned plan and structural design (one set of structural drawings as executed is enclosed) which incorporate the provisions of structural safety as specified in relevant prevailing IS Codes/Standards/Guidelines.
- ii. Further certified that detailed drawings and specifications of all services prepared by engineer for utility services.

iii. It is also certified that construction has been done under supervision of Supervisor and adheres to the drawings submitted and the records of supervision have been maintained.

DECLARATION PROFORMA

CERTIFICATE OF STRUCTURAL SAFETY

(Chapter 2, Para 2.6.5)

(To be submitted by Structural Engineer)

	tainir	owing certificate is submitted along with the building plans drawing while submitting the plans for g sanction of building permit/occupancy-cum-completion for Building on Plot No situated at Scheme
I.		rtified that the building plans submitted to the sanctioning authority shall be/has been designed for ety requirements.
П.	It i saf pre	s also certified that the structural design shall be/was based on National Building Code, including ety from natural hazards, based on soil conditions (as per Soil Testing Report no dated pared by) will be/has been taken into consideration and uld be/has been duly incorporated in structural drawings of the building to be/so constructed.
	En	cl: Soil Testing Report in case of High Risk Building.
E	ncl:	
	1.	Plans and Drawings (Chapter2, 2.6.1)
	2.	Ownership Documents (Chapter2, 2.6.2)
	3.	Lift Manufacture Certificate (Chapter2, 2.6.3)
	4.	Photographs of the building (Chapter2, 2.6.4)
Permi	ssion	to occupy or use the building may be granted.
Any s	ubsec	quent change from completion drawings will be the responsibility of the owners.
	A)	Digital Signature of the Owner
	B)	Digital Signature of Structural Engineer (Responsible for Structural Design)
	C)	Digital Signature of Architect/Engineer/Supervisor (Responsible for Architectural Design)
	D)	Digital Signature of the Supervisor (Responsible for supervision of the construction)
		re is no requirement of submission of Affidavit(s)/Notorised Affidavit(s)/e-stamp paper(s)/c. along with this application form.
		ANNEXURE-XII
	_	fied Procedure for Government Building Plan Sanction (Please refer Chapter 2.1.2 (c) & c) of this document)
		UNDERTAKING – 1
Ur	ıdert	aking of Architect
	I, at_	, occupation Architect, office, occupation Architect, office directed/engaged by the authorized authority do hereby solemnly affirm and clare as under:
	1.	That, I Architect by profession and working at the
	1.	
		OR Architect (registered) with the Council of Architects vide registration No
	2.	That I have been engaged as an Architect for preparing the building plans and to supervise construction till its completion in respect of Plot No, Block No situated at

- 3. That I have prepared the building plans in respect of the aforesaid plot.
- 4. That I have studied the layout plan of the colony and have gone through the instructions, policy decisions and other relevant documents in respect of the plot and the colony.
- 5. That I have personally inspected the site, which forms part of the approved layout plan with respect to its location, size, shape and area of the plot and is proposed land use is also in conformity with the approved layout plan. The plot has been demarcated at site and the site and the size, shape and areas of plot available at site tallies with the approved layout plan.
- 6. That the ownership documents are I shape of registered sale-deed/lease deed in favor of the applicant and have been thoroughly examined and the ownership in favor of the applicant is in order.
- 7. That there is no construction in existence at the plot and no construction shall commenced before sanction of the building plans.
- 8. That there is no encroachment on the municipal land/road/other property and road widths as shown in the layout plan are available at site.
- 9. That the proposals are in conformity with the terms and conditions of lease-deed which is still operative and period of construction as per lease-deed and the extension granted by the Lessor is valid upto ______.
- 10. That the proposals have been prepared strictly in accordance with these building Bye-law, rules, regulations and practice of the Department and no mis interpretation or inference of Provisions of these Unified Building Bye-Laws has been exercised while preparing the plans. The construction shall be carried out strictly in accordance with the sanctioned building plans and in case any deviation is carried out, I shall inform the sanctioning authority immediately.
- 11. That in case of appointment of other Architect I the Project at any stage whatsoever, I shall inform the sanctioning authority within 48 hours.
- 12. That mandatory setbacks as proposed shall be maintained in accordance with the provision of MPD/ layout plan.
- 13. That before submission of proposals, necessary information/clarification have been obtained from the concerned Planning Wing. There is no dispute/affect of any scheme or the roads widths etc. on the plot/site. Building activities for designated use, i.e. , are allowed as per MPD.
- 14. That no development /additional development /deficiency charges are dues against this plot (in case development/additional development/deficiency charges are due, the details be given in a separate para.)
- 15. That nothing has been concealed and no mis representation has been made while preparing and submitting the building plans.
- 16. That in case anything contrary to the above id found or established at any stage, the sanctioning authority shall be at liberty to take any action as deem fit including revocation of sanction of building plans and debarring me for submission of building plans with the sanctioning authority under the Scheme and also can lodge a complaint with the Council of Architecture for appropriate action.

ARCHITECT

	UNDERTAKING – 2		
Undert	taking of applicant/authorized Authority		
I/We	(Authorized Signatory)		office
address	S	do herby	solemnly
	and declare as under:		
1.	That, I/we am /are the only /owners/lessee/lessees of situated at		
	whatsoever in respect thereof.		
2.	That, I/We have engaged /directed Sh Architect for preparing the building plans and to superrespect of the aforesaid Plot.		

- 3. That in case I/We dispense with the services of the Architect above named at any stage till actual completion of the construction, I/We shall inform the sanctioning authority within 48 hours.
- 4. That the plot under proposal forms part of the approved layout plan with respect to its location, size, shape and area of the plot and proposed land use is also in conformity with the approved layout plan. The plot has been demarcated at site and the size, shape and areas of plot available at site falls with the approved layout plan.
- 5. That the ownership documents are in shape of sale-deed/lease-deed and there is no dispute/discrepancy/from law point of view and the plot is free from all encumbrances.
- 6. That there is no construction is existence at the plot and no construction shall be started before sanction of the building plans.
- 7. That there is no encroachment on the Municipal land/road/other property and road widths as shown in the layout plan are available at site.
- That the proposals are in conformity with the terms and conditions of lease-deed which is still operative and period of construction as per lease-deed and the extension granted by the Lessor is valid upto
- 9. That the proposals have been prepared strictly in accordance with these Building Bye-laws, rules, regulations and practice of the Department and no misinterpretation or inference of Provisions of these Unified Building Bye-Laws, has been exercised while preparing the plans. The construction shall be carried out strictly in accordance with the sanctioned building plans and in case any deviation is carried out, I/We shall inform the sanctioning authority within 48 hours.
- 10. The mandatory setbacks have been proposed and shall be maintained in accordance with the setbacks marked in the layout plan/MPD.
- 11. That before submission of proposals, necessary information/clarification have been obtained from the concerned Planning. The plot safe and is not affected in any scheme or the roads widths. Building activities are as per approved layout plan.
- 12. That no development/additional development/deficiency charges are payable against this plot. (in case development/additional development/deficiency charges are payable, then its details be given in a separate para.)
- 13. That no non-compoundable deviations shall be carried out during the course of construction or thereafter.
- 14. That nothing has been concealed and no mis-representation has been made while preparing and submitting the building plans.
- 15. That in case anything contrary to the above is found or established at any stage, the sanctioning authority shall be at liberty to take any action as it may deem fit including revocation of building plans and demolition/sealing of the premises.
- 16. That after completion of the building, the building shall not put to use before occupancy certificate from sanctioning authority and will be put to use for which it will be sanctioned.
- 17. That I/We give solemn undertaking that I/We shall raise the construction exactly in accordance with the sanctioned building plans and these Building Bye-Laws. In case any deviation is made, apart from any other action, the total constructions shall be deemed to be unauthorized and the sanctioning authority would be at liberty to demolish/seal the whole or any portion of the construction and I/We shall not claim any compensation, damage or loss on account thereof from the sanctioning authority or from any of its office(s). This is addition to any other action which may be taken by the sanctioning authority under the provisions of the respective Act (as amended from time to time) and these Unified Building Bye-Laws.

APPLICANT/AUTHORIZED AUTHORITY